

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या:2778/78-2-2017-97आईटी0/2017टीसी
लखनऊ दिनांक : 05 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म <https://etender.up.nic.in> का प्रयोग करते हुए ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया को बाध्यकारी कर दिया गया है।

2 भारत सरकार के वित्तीय नियमों जीएफआर-2005 तथा उसके बाद में समस्त संशोधनों, आईटी एक्ट-2000, आधार एक्ट-2016, सीवीसी गाईडलाईन्स, विश्व बैंक के प्रोक्योरमेंट नियमावली इत्यादि के सभी प्राविधानों का समावेश करते हुये ई-टेण्डर प्रणाली विकसित की गई है। एनआईसी द्वारा विकसित ई-टेण्डरिंग एप्लीकेशन पोर्टल एक सुदृढ़ सिस्टम (Stable System) है जो 27 राज्यों तथा केन्द्र सरकार की 300 से अधिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इनमें से कुछ राज्यों द्वारा टेण्डर शुल्क एवं धरोहर (EMD) धनराशि के ऑन लाईन भुगतान की प्रक्रिया काफी समय से सफलतापूर्वक लागू है। अतएव उत्तर प्रदेश में भी ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत टेण्डर शुल्क एवं धरोहर (EMD) धनराशि के ऑन लाईन प्राप्ति एवं भुगतान की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 टेण्डर शुल्क एवं धरोहर (EMD) धनराशि के ऑन लाईन प्राप्ति एवं भुगतान की व्यवस्था को प्रदेश में ई-टेण्डरिंग हेतु नामित नोडल संस्था - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), उ0प्र0 शासन के वित्त विभाग तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पारस्परिक समन्वयन से लागू किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4 टेण्डर शुल्क एवं धरोहर (EMD) धनराशि के ऑन लाईन प्राप्ति एवं भुगतान हेतु एप्लीकेशन इन्टीग्रेशन का कार्य एन.आई.सी. द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम/संस्थाओं से उनके आर्गनाइजेशन चार्ट के साथ, शासकीय विभाग की दशा में कोषागारों में प्रयोग होने वाला डीडीओ एकाउण्ट कोड, तथा सार्वजनिक संस्थान/उपक्रम की दशा में उनके बैंक खाता संख्या तथा आई.एफ.एस.सी. कोड यूपीएलसी द्वारा प्राप्त कर भारतीय स्टेट बैंक, ऑफ इण्डिया, लखनऊ को उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कराये जायेंगे। इसके आधार पर बैंक द्वारा प्रत्येक विभाग हेतु यूनिक रेफरेन्स नम्बर तथा सार्वजनिक संस्थान/उपक्रम हेतु फण्ड सेटलमेन्ट एकाउण्ट सृजित किया जायेगा जिसमें उनको प्राप्त होने वाली फीस, बैंक उनके खाते में सेटल करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक रेफरेन्स नम्बर जनरेट करने के उपरान्त, उसे इन्टीग्रेट करायेंगे तथा यूपीएलसी को उपलब्ध करायेंगे, जिसे एन.आई.सी. राज्य एकक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा वे एन.आई.सी. चेन्ई से समन्वय कर एप्लीकेशन से इन्टीग्रेट करायेंगे।

5 निविदाताओं द्वारा निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS से किया जा सकता है। शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि के टेण्डर शुल्क एवं धरोहर (EMD) राशि को निम्नानुसार जवाहर भवन, लखनऊ स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये खातों में संग्रहीत किया जायेगा :-

- शासकीय विभागों के लिये (जिनके बिलों का आहरण कोषागार के माध्यम से होता है), कॉमन पूलिंग एकाउन्ट (Non-operating Account) में
- सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं इत्यादि के लिये एक सिंगल्स पूलिंग एकाउन्ट अथवा मल्टीपल पूलिंग एकाउन्ट (Non-operating Account) में

शासकीय विभागों हेतु खोला गया कॉमन पूलिंग एकाउन्ट सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकेगा जिसके लिए उनको अलग से लॉगइन आई.डी. तथा पासवर्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं इत्यादि के लिए भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन खातों को एक्सेस किया जा सकेगा जिसके लिए उनको अलग से लॉगइन आई.डी. तथा पासवर्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

इन खातों का प्रयोग सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अन्य प्रयोजनों हेतु किसी भी रूप में नहीं किया जायेगा।

शासकीय विभागों से सम्बन्धित शुल्क राशियाँ

टेण्डर शुल्क : टेण्डर शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि निविदा खोले जाने के बाद एक निर्धारित अवधि (अधिकतम 10 दिन) के पश्चात, सम्बन्धित विभाग के सुसंगत प्राप्ति लेखाशीर्ष में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जमा करने हेतु बैंक को पूर्ण विवरण के साथ अनुरोध करेगा।

धरोहर (EMD) राशि : धरोहर (EMD) राशि को पूलिंग एकाउन्ट में रखा जायेगा तथा सम्बन्धित अपात्र/असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर वापस कर दिया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि को अन्ततोगत्वा निविदादाता के चयन तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा अथवा परफारमेन्स सिक्योरिटी के सापेक्ष समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा धरोहर राशि जब्त किये जाने किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो उस स्थिति में यह धनराशि शासकीय कोषागार में निर्दिष्ट लेखा शीर्ष में हस्तान्तरित करने हेतु विभाग द्वारा बैंक से अनुरोध करने पर हस्तान्तरित कर दी जायेगी। धरोहर राशि को वापस किए जाने/ जब्त किए जाने/ परफारमेन्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सिक्वोरिटी के सापेक्ष समायोजित किए जाने सम्बन्धी निर्देश ई-टेण्डर एप्लीकेशन द्वारा स्वतः परिचालित होंगे।

सार्वजनिक उपक्रमों/ विकास प्राधिकरणों/ नगर निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि से सम्बन्धित शुल्क राशियाँ

टेण्डर शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि निविदा खोले जाने के बाद एक निर्धारित अवधि के पश्चात, सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/ विकास प्राधिकरण/नगर निगम/ स्वायत्तशासी संस्था/ निकाय इत्यादि के सम्बन्धित बैंक खाते में हस्तान्तरित करने हेतु सम्बन्धित द्वारा अनुरोध करने पर हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

धरोहर (EMD) राशि : धरोहर (EMD) राशि को पूलिंग एकाउन्ट में रखा जायेगा तथा सम्बन्धित अपात्र/असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर वापस कर दिया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि को अन्ततोगत्वा निविदादाता के चयन तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा अथवा परफारमेन्स सिक्वोरिटी के सापेक्ष समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/ विकास प्राधिकरण/ नगर निगम/स्वायत्तशासी संस्था/ निकाय इत्यादि द्वारा धरोहर राशि जब्त किये जाने किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो उस स्थिति में यह धनराशि सम्बन्धित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। धरोहर राशि को वापस किए जाने/जब्त किए जाने/अथवा परफारमेन्स सिक्वोरिटी के सापेक्ष समायोजित किये जाने सम्बन्धी निर्देश ई-टेण्डर एप्लीकेशन द्वारा स्वतः परिचालित होंगे।

6 उपरोक्त प्रस्तर 5 में वर्णित दोनों खातों में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज देय (Interest Accrued) होगा। शासकीय विभागों के खाते का ब्याज मासिक/त्रैमासिक आधार पर, यूपीएलसी द्वारा सम्बन्धित लेखाशीर्ष जिसका निर्णय वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा, में जमा करा दिया जायेगा। सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं के खाते का ब्याज मासिक/त्रैमासिक आधार पर यूपीएलसी को उनके द्वारा ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित किये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त होगा, जिसका व्यय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग की सहमति से किया जायेगा। इन खातों में प्राप्त होने वाली सभी धनराशियों तथा उनके अन्तरण (Transfer) इत्यादि के स्टेटमेण्ट्स के भारतीय स्टेट बैंक तथा ई-प्रोक्योरमेण्ट केन्द्र (E-Procurement Centre) के मध्य आदान-प्रदान हेतु एक नियमित तन्त्र (Regular Mechanism) विकसित किया जायेगा।

7 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह एकाउन्ट स्टेटमेण्ट/ एमआईएस रिपोर्ट, ई-टेण्डरिंग हेतु नोडल संस्था-यूपीएलसी/सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जायेगी, जिसमें निम्न सूचनायें भी सम्मिलित होगी :-

- समयावधि बीत जाने के उपरान्त बैंक खाते में सफल निविदादाताओं की Non-refunded धरोहर (EMD) धनराशि, कोषागार एवं सम्बन्धित संस्था के खाते में ट्रान्सफर होने वाली निविदा शुल्क (Tender Fees) इत्यादि का विवरण।

8 सम्बन्धित विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं इत्यादि द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि के एकाउन्ट सेटलमेन्ट हेतु भारतीय स्टेट बैंक से समन्वय स्थापित कर मिलान (Reconciliation) सुनिश्चित कराया जायेगा। इन खातों में जमा की जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वाली धनराशि/वापस की जाने वाली धनराशि एवं मिलान (Reconciliation) के लिए सम्बन्धित विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/संस्थान आदि स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9 प्रारम्भ में प्रत्येक सप्ताह 10-10 विभागों को ऑन-लाइन माध्यम से निविदा शुल्क (Tender Fees) तथा धरोहर राशि (Earnest Money) की प्राप्ति एवं वापसी की प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु सम्बद्ध कर इस व्यवस्था को अंगीकृत कराया जायेगा, जिसका अनुसरण अन्य विभागों/उपक्रमों आदि में प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।

10. उपरोक्त प्रस्तर 5 में उल्लिखित दोनों बैंक खाते महालेखाकार, लेखा परीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या एवं तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- 2 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
- 3 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
- 4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- 5 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- 6 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- 7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश
- 8 निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश
- 9 निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रीजी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश
- 10 निजी सचिव, मा. विभागीय राज्य मंत्रीजी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश
- 11 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
- 12 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
- 13 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
- 14 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ
- 15 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
- 16 महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद
- 17 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ
- 18 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव